## <u>न्यायालयः—द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी, श्रृंखला न्यायालय रामपुरनैकिन,</u> जिला—सीधी (म०प्र०)

जमानत प्रकरण क0-04/2018

नीरज उर्फ धीरज तनय श्री वीरेन्द्र मिश्रा, उम्र—22 वर्ष, निवासी ग्राम—नौढ़िया, थाना—रामपुरनैकिन, जिला—सीधी (म0प्र0)
————आवेदक / आरोपी

## //ब ना म//

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रामपुरनैकिन जिला—सीधी (म०प्र०) —————अनावेदक / अभियोगी

\_\_\_\_\_

## / / नकल आदेश पत्रक / /

## 20.08.2018

आवेदक / आरोपी नीरज उर्फ धीरज की ओर से श्री शिवेन्द्र उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / म0प्र0 राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री अरूण मिश्रा उपस्थित।

आवेदक / आरोपी नीरज उर्फ धीरज की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. प्रस्तुति दिनांक 20.08.2018 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / आरोपी नीरज उर्फ धीरज को नियमित जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि आरोपी ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष समर्पित कर दिया है उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड के लिये पेश किया गया था, किन्तु क्षेत्राधिकार न होने से उसका जमानत याचिका इस न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इस संबंध में सुन्दीप कुमार वाफना में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरंज सिंह बनाम प्रभाकर के प्रकरण में यह व्यवस्था दी है और आरोपी ने समर्पण कर दिया है व उसे अभिरक्षा में मानकर जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है और इसी पर माननीय उच्च म0प्र0 की खण्डपीठ ने सुरेन्द्र चौरसिया के प्रकरण में यह व्यवस्था दी है कि न्यायालय में अगर समर्पित कर देता है तो उसे अंतरिम जमानत दी जा सकती है। प्रकरण में आक्षेप यह है कि फरियादी स्कार्पियों से जा रहा था और जब घर के सामने पहुंचा तो तीन गाडी चार पहिया आयी जिनमें से नितिन सिंह सहित अन्य आरोपी आये और नितिन सिंह ने कहा कि वह वरूण उर्फ डब्बू को गाड़ी से नीचे उतारो और फरियादी ने कहा कि गाड़ी में नहीं है तो नितिन सिंह उसे गाली देकर मारपीट कर किया और 15300 / – रूपये उसकी जेब से निकाल लिया। आरोपी ने कोई कृत्य नहीं किया है। मुख्य अपराध नितिन सिंह की नियमित जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो

चुकी है सह आरोपी मोनू सिंह की नियमित जमानत भी सत्र न्यायालय से हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के द्वारा बद्री निहाल के प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई है कि आरोपी समानता का हकदार है और मनोहर तथा कमलजीत सिंह वाले प्रकरण में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की व्यवस्था दी गई है। निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी ग्राम नौढ़िया का स्थायी निवासी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा।

आवेदन में यह भी दर्शाया गया है कि यह आवेदक / आरोपी का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। समर्थन में शशंक कुमार तिवारी का शपथ पत्र भी पेश किया है।

आवेदक / आरोपी की ओर से न्यायदृष्टांत मनोहर बनाम म0प्र0 राज्य 2007(3) एम.पी.डब्ल्यू एन. 35 तथा कमलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2005)7 एस.सी.सी. 226 और बद्री निहाल एवं अन्य बनाम म0प्र0 राज्य एम.पी. डब्ल्यू एन. 2006 भाग—2, 39 का हवाला दिया गया है।

अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है। आवेदन पर विचार किया गया।

न्यायालय श्री कमलेश कुमार कोल के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0-354/2017 के अभिलेख तथा थाना रामपुरनैकिन क0-226 / 2017 के अवलोकन से यह दर्शित है कि दिनांक 25.06.2017 को फरियादी राजेश निगम द्वारा थाने में इस आश्य की रिपोर्ट लिखायी थी कि दिनांक 24.06.2017 को को वह रामलखन गुप्ता के परिवार के साथ चुरहट में रिश्तेदार का स्वास्थ्य देखने गया था और वापस आने घर स्कार्पियो से आ रहा था जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचा और गाडी रोका तो पीछे से फोर व्हीलर गाडी आयी जिसमें नितिन सिंह, मोनू सिंह एवं मामले का आवेदक/आरोपी धीरज फरियादी की गाड़ी के पास आकर कहा कि वरूण उर्फ डब्बू को गाड़ी से नीचे उतारो और फरियदी ने जब कहा कि वह गाड़ी में नहीं है तब नितिन सिंह, मां, बहन की बुरी-बुरी गाली देकर फरियादी से लिपट कर मारपीट करने लगा और जेब में रखे 15300 / – रूपये निकाल लिये। मारपीट से फरियादी का चश्मा टुट गया और बायें तरफ आंख के नीचे और गाल में दर्द है। फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया हो ऐसा अभिलेख से दर्शित नहीं है। फरियादी और अन्य गवाहों के कथन लेखबद्ध किये जा चुके हैं। आरोपी नितिन सिंह द्वारा फरियादी की जेब से रूपये निकालना और मारपीट करना अभिकथित है। मामले में आरोपी नितिन सिंह की जमानत माननीय उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर के एम.सी.आर.सी. नं. 14914 / 17 आदेश दिनांक 15.11.2017 के द्वारा हो चुकी है तथा एक अन्य आरोपी पीयूष सिंह उर्फ मोनू सिंह की जमानत भी इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रकरण क0-347 / 17 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा हो चुकी है। अतः जमानत पर रिहा किये गये उक्त आरोपीगण से इस आरोपी का मामला भिन्न नहीं है।

अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक / आरोपी नीरज

उर्फ धीरज को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत है। यदि आवेदक/आरोपी नीरज उर्फ धीरज की ओर से न्यायालय श्री कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन की संतुष्टि योग्य 20,000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका इन शर्तों के साथ पेश किया जावे कि वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, साक्षियों को प्रभावित, प्रताड़ित नहीं करेगा और प्रत्येक पेशी तारीख पर हाजिर होगा तो उसे जमानत पर रहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ न्यायालय न्यायालय श्री कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुरनैकिन के न्यायालय का मूल प्रकरण वापस हो।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर प्रकरण समयाविध में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / –

(यतीन्द्र कुमार गुरू) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी, श्रृंखला न्यायालय रामपुरनैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)